इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 482] भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर 2018—भाद्र 14, शक 1940

आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2018

क्र. एफ-1-1-2018-1-उनसठ.—यत:, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा संत हिरदाराम प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल के छात्रों को प्रदान की जाने वाली बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस (बी. एन. वाय. एस.) उपाधि एक ऐसी चिकित्सीय अर्हता (जो इसमें इसके पश्चात् पूर्वोक्त अर्हता कही जाएगी) है, जो मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्र. 5 सन् 1971) की अनुसूची में उल्लिखित अर्हता की सूची में विद्यमान नहीं है;

और, यत:, संत हिरदाराम प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (संस्था) ने उपरोक्त अर्हता को मान्यता प्रदान करने के लिये राज्य सरकार को आवेदन किया है तथा यह स्पष्ट किया है कि संस्था द्वारा परिचालित उपरोक्त अर्हता, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा वर्ष 2015-16 से प्रदान की जा रही है.

अतएव, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्र. 5 सन् 1971) की धारा 37 के साथ पठित धारा 2 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अनुसूची में,—

1. भाग-क में, अनुक्रमांक 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"11-क.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल.	बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस (बी. एन. वाय. एस.)	अगस्त, 2015 से आगे."

2. उपरोक्त उपाधि, मान्य अर्हता होगी, जबकि ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्रदान की गई हो.

3. यह अधिसूचना, ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. F-1-1-2018-1-LIX:—WHEREAS, the Bechelor of naturopathy and Yogic Science (B.N.Y.S.) degree, awarded by the Barkatullah University, Bhopal to the students of Sant Hirdaram College of Naturopathy and Yogic Science, Bhopal, is such a medical qualification (to be called the aforsaid qualification henceforth) which does not exist in the list of qualification mentioned in the Schedule of the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani tatha Prakritik, Chikitsa Vyavsayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971);

AND, WHEREAS, Sant Hirdaram College of Naturopathy and Yogic Science, Bhopal (Institution) has applied to the State Government to have aforesaid qualification recognized and has made it clear that the aforesaid qualification run by the institution is being awarded by the Barkatullah University, Bhopal since year 2015-16.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 37 read with clause (h) of Section 2 of the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani tatha Parakritik Chikitsa Vyavsayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971), the State Government, after consultation with the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani tatha Prakritik Chikitsa Board, hereby, makes the following amendment in the Schedule of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule,—

1. in part A, after serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"11-A.	Barkatullah University, Bhopal	Bechelor of naturopathy and Yogic Science (B. N. Y. S.)	August, 2015 onwards."

2. The aforesaid degree shall be a recognized qualification, when awarded after the date specified above.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.